न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2018
प्रविष्टि दिनांक 6–8–2018

1–कालूराम दत्तक पुत्र स्व0 गजानन्द तेली जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज0
2–प्रहलाद पुत्र स्व0 राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज0
3–केलाश पुत्र स्व0 राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज0
4–शम्भूदयाल पुत्र स्व0 राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज0

– अपीलान्ट्स

बनाम

1–राधेश्याम साहू पुत्र स्व0 श्री रामरख जाति तेली निवासी तेलियों की गली छोटा , तख्ता टोंक राज0
2– श्रीमति कमला देवी पत्नि राधेश्याम साहू जाति तेली निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 विरूद्ध नगर परिषद टोंक दिनांक के पूर्व आदेश दिनांक 21–12–2012 के अनुसरण में दिनांक 24–12–2012 को बहक रेस्पोडेट्स जारी किये गये अवैध पट्टे को रिन्यूअल करने के आदेश दिनांक 17–5–2018 एंव इसके अनुसार जारी किये गये रिन्युअल पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थिति : (1) श्री केलाश चन्द शर्मा अपीलान्ट्स
(2) श्री सै0 मजहर आलम अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय दिनांक 13–3–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के मालिकाना हक एंव आधिपत्य के पुश्तेनी मकान वाके छोटा तख्ता तेलियों की गली, टोंक में कोई हक अधिकार नहीं होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट्स ने स्वंय को उक्त मकान के एक हिस्से का गलत झूँठे एंव गैर कानूनी रूप से मालिक स्वांमी बताते हुए नगर परिषद टोंक के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलिभगत करके गुपचुप तरीके से पूर्व में नगर परिषद टोंक के आदेश दिनांक 21–12–2012 के अनुसार दिनांक 24–12–2012 को स्टेट ग्रान्ट एक्त 1961 के तहत प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान 148.18 वर्गगज भूमि का अवैध रूप से पट्टा कमांक 122 प्राप्त करके उक्त पट्टे को रिन्युअल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें नगर परिषद टोंक ने दिनांक 17–5–2018 को पट्टा रिन्युअल का अवैध रूप से आदेश जारी कर रिन्युअल पट्टा जारी कर दिया। नगर परिषद टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

द्वारा इस बाबत पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12–12–2012 इसके अनुसार दिनांक 24–12–2012 को जारी पट्टा रिन्युअल आदेश दिनांक 17–5–2018 एंव इसके अनुसरण में जारी नवीन पट्टा को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स ने जिस भूमि का पट्टा बनवाया है, उस भूमि से रेस्पोडेण्ट्स का कोई मालिकाना हक अधिकार नहीं है बलकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के मालिकाना हक आधिपत्य के पुश्तेनी मकानात बने हुए हैं। जिसमें रेस्पोडेण्ट्स अपनी पूर्वजा गुलाब देवी के समय से परमेसिव पजेशन के आधार पर मात्र रहते हें। ऐसी दशा में से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। नगर परिषद टोंक द्वारा इस बाबत पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12–12–2012 इसके अनुसार दिनांक 24–12–2012 को जारी पट्टा रिन्युअल आदेश दिनांक 17–5–2018 एंव इसके अनुसरण में जारी नवीनीकृत पट्टा निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट्स ने प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान बिना विधिक प्रकिया अपनाये नगर परिषद टोक के अधिकारियों कर्मचारियों से साजिश करके उक्त जगह का अपीलाधीन पट्टा अपने स्वामित्व का कोई दस्तावेज पेश किये बिना अपने स्व0 पिता रामरख के नाम की एक जाली एंव फर्जी वसीयत दिनांक 29–3–2001 के आधार पर बनवाया था जिसका एक गवाह मर चुका ओर दूसरा गवाह द्वारका ने उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने का शपथ पत्र न्यायालय में दिया है। विशेष बात यह हे कि उक्त जाली एंव फर्जी वसीयत दिनांक 29–3–2001 को आधार बना कर वादग्रस्त स्थल से ही 4–5 मकान दूर स्थित अन्य मकान का भी पट्टा रेस्पोडेण्ट्स के सगे भाई दामोदर ने उसी वसीयत के आधार पर स्वय को उस मकान का मालिक होना बताकर नगर परिषद टोंक के क्रमांक 116 दिनांक 24–12–2012 को प्राप्त किया था जिसके प्रति आर0टी0आई0 के तहत प्राप्त कर दस्तोवजों के साथ संलग्न की जा रही है इसलिए भी नगर परिषद टोंक का आदेश एंव पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट्स की दादी श्रीमति गुलाब देवी हमारे पिता स्व. रोधकश्याम की दूर की रिश्तेदार थी ओर गुलाब देवी ने कतिपय कारणों के चलते अपने पुत्र रामरख सहित स्वय का मकान छोड़ दिया था उस समय आपसी रिश्तेदारी की वजह से हमारे पिता जी ने श्रीमति गुलाब देवी को उनके मालिकाना हक के वादग्रस्त मकान में एक सीध के तीन कमरों में रहने की अनुमति दी थी, तब से वह अपने पुत्र के साथ उक्त तीन कमरों में परमेसिव पजेशन के तहत रहने लगी, उपरोक्त अनुमति के तहत एक सीध के तीन कमरों में वाग्रस्त मकान में रहते आए हैं किन्तु अपीलान्ट्स का वादग्रस्त मकान में कोई मालिकाना अधिकार नहीं रहा है, इसलिए भी आदेश एंव पट्टा निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेट्स के हक में मालिकाना हक के अभाव में हमारे पुश्तेनी मकान का भाग , जिसमें रेस्पोडेण्ट्स मात्र परमेसिव पजेशन से रहते हें बाबत रेस्पोडेट्स के हक में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सन् 2012 में जारी किया गया पट्टाएंव बाद में इस बाबत् पारित रिनिवल आदेश दिनांक 17–5–2018 मय रजिस्टर्ड पट्टा अवैध एंव अवैधानिक होने के कारण निरस्स्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया कि अपीलान्ट्स ने नगर परिषद टोंक को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि यह कानूनन आवश्यक पक्षकार की परिभाषा में आती है क्योकि प्रस्तुत अपील नगर परिषद टोंक के आदेश दिनांक 21–12–2012, 24–12–2012, एंव 17–5–2018 को निरस्त करने के लिए पेश की गई है, जिसमें नगर परिषद टोंक की ओर से भी पक्षकार बनारये जाने पर सारवाद जवाब एंव बहस पेश की जा सकती है ओर सही तथ्य श्रीमान के सामने आ सकते थे। परन्तु अपीलान्ट्स ने जानबूझ कर नगर परिषद को पार्टी नहीं बनाया है

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

जिसकी वजह से यह अपील चलने योग्य नहीं है ओर कानूनन इसी बिन्दु पर खारिज किया जाने लायक है। अपील मीमो में अंकित तथ्य गलत एंव गैर कानूनी है जैसा कि अपीलान्ट्स प्रशनगत भूमि पर रेस्पोडेट्स का अपनी पूर्वजा गुलाब देवी के समय से परमिसिव पजेशन मानकर चल रहे हैं लेकिन इस परमिसिव पजेशन का अपीलान्ट्स ने न तो कोई आधार बताया है न ही कोई समय सीमा बताई है कि कितने वर्षो से रेस्पोडेण्ट्स इस प्रश्नगत भूमि पर बतौर परमिसिव पेजेशन रहते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट्स का यह कथन भी गलत है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान बिना विधिक प्रकिया अपनाये नगर परिषद कर्मचारियों से साज करके बिना कोई दस्तोवज पेश किये जाली एंव फर्जी वसीयत दिनांक 29–3–2001 के आधार पर प्रश्नगत पट्टा बनवाया है। अपीलान्ट्स का कथन गलत है कि रेस्पोडेण्ट्स ने जिस भूमि का पट्टा बनवाया है वह भूमि उसके पूर्वजों की पुश्तेनी भूमि है, जिसका शजरा पेश किया है तथा सबूत के तोर पर रेस्पोडेट्स ने नगर परिषद में सन 1961 की वोटर लिस्ट पेश की है, जिसके क्र0 सं0 784 मकान पं0 146 में रेस्पोडेट्स के दादा रामकरण पुत्र गोरधन का नाम अंकित है तथा क्रम सं0 786 पर रेस्पोडेट्स के पिता रक्खा उर्फ रामरक्खा नाम अंकित है जो पट्टाधारी राधेश्याम के क्रमाशः दादा एंव पिता हैं, जिसके प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स राधेश्याम का पुराना कब्जा होना साबित है। इसके साथ–साथ रेस्पोडेण्ट्स पट्टाधारी ने अपने पिता का पुराना राशनकार्ड भी पेश किया है तथा दो बुजुर्ग पडोसी भंवरलाल पुत्र मोतीलाल तेली उम्र 65 साल तथा श्रीमति ग्यारसी देवी बेवा गुलाबचन्द तेली उम्र 70 साल के शपथ पत्र एंव वर्तमान पार्षद श्रीमति शानू एंव पूर्व पार्षद श्री नथ्थूजी सिन्धी का प्रमाण पत्र भी पेश किये हैं, जिसमें उन्होंने रेस्पोडेण्ट्स का शजरा बताते हुए इस मकान को रेस्पोडेण्ट्स का पुश्तैनी होना बताया है इस प्रकार अपीलान्ट्स का यह कथन निरर्थक ओ हाजा है कि रेस्पोडेण्ट्स ने उनके हक में जो पट्टा बनवाया है, वह बिना किसी सबूत के नगर परिषद कर्मचारियों से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दरमियान साज करके बनवाया है। रेस्पोडेण्ट्स ने भूमि का अपने हक में जो पट्टा बनवाया है उसकी नगर परिषद टोंक द्वारा वांछित पूर्ण प्रकिया अपनाई गई है। बकायदा नोटिस उज्रदारी जारी किया गया है जिस पर किसी भी व्यक्ति ने कोई उज्रदारी पेश नहीं की है। तत्पश्चात नगर परिषद ने इस सम्बन्ध में पटवारी एंव नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता से मौके की वास्तविक स्थिति की जॉच करवाई है तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही पूरी करने के पश्चात पट्टा जारी किया है सन 2018 में तो रेस्पोडेण्ट्स ने इस पट्टे को केवल मात्र इसलिए रिनिविल करवाया था कि सन 2012 में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा गया था इसलिए अपीलान्ट्स को कानूनन अब धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस पट्टे के सम्बन्ध में कोई ऐतराज करनें से वह एस्टोप्ड है। जब किसी भूमि का एक बार कोई पट्टा जारी कर दिया जाता है तो उसको अधिकृत अधिकारी के द्वारा निरस्त किए बगैर उसी भूमि का दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस सम्बन्ध में कानून की सुव्यवस्थित व्यवस्था है अतः अपील चलने योग्य नहीं है अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व नगर परिषद टोंक की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में राधेश्याम साहू पुत्र स्व0 रामरख व श्रीमति कमला देवी पत्नि श्री राधेश्यात साहू निवासी वार्ड नम्बर 22 तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक को आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा जारी पट्टा दिनांक 24–12–2012 तथा उक्त पट्टे को किये गये रिनिवल दिनांक 17–5–2018 में

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व नोटिस प्रकाशन का कोई सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो कि पट्टा जारी करने से पूर्व उज्रदारी/आपत्ति आमंत्रित की गई थी। केवल शपथ पत्रों पर ही विश्वास कर पट्टा जारी कर दिया गया है। मकान के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की जॉच कर तथा दोनों पक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायोचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13–3–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner